वित्त निर्देश 51/2003

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 833/862/नि/चार/2003 रायपुर, दिनाँक 03 नवम्बर, 2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- **छत्तीसगढ़ राज्य का गठन- दोनों राज्यों के मध्य पेंशनरी दायित्वों का विभाजन ।**

---0---

उपरोक्त विषय में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के संलग्न -छठी- अनुसूची में मार्गदर्शी निर्देश दिये गये हैं तथा म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-25/202/2000/पी.डब्ल्यू.सी./चार दिनाँक 30.10.2000 द्वारा पेंशनरी दायित्वों के विभाजन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है ।

2/- अधिनियम की अनुसूची छः के पैरा 2 में प्रावधान है कि एकीकृत म.प्र. में कार्यरत ऐसे शासकीय सेवक जो राज्य पुनर्गठन की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों, किन्तु जिनके पेंशन स्वत्वों का निराकरण नहीं हुआ है, उनके पेंशन का दायित्व दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य समायोजन के अध्याधीन उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य का होगा ।

3/- राज्य शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय न्यायालयीन प्रकरणों में जिनमें शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति एकीकृत मध्यप्रदेश की अवधि में हुई है, छत्तीसगढ़ शासन को पक्षकार बनाया गया है तथा अवमानना प्रकरणों में छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों को नोटिस दिया गया है । जबकि पेंशन के दायित्व का विभाजन/समायोजन दोनों राज्यों में होना है व पेंशन प्रकरणों का निराकरण का कार्य उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य का है । इसलिए ऐसे न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालय को स्थिति स्पष्ट करना चाहिये ।

4/- समस्त विभागों से अनुरोध है कि ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का अनुसरण करें तथा जिन प्रकरणों में नियमानुसार छत्तीसगढ़ शासन का दायित्व नहीं होता है, उनमें छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों का नाम प्रकरण के प्रतिवादियों की सूची से विलुप्त करवाने हेतु समुचित कार्यवाही करें ।

(आर.एस. विश्वकर्मा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 834/862/नि/चार/2003 रायपुर, दिनाँक 03 नवम्बर, 2003

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल (म.प्र.) ।
5. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
6. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
9. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर ।
11. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर ।
12. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
13. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।

20. नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) को वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.के. चक्रवर्ती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त
विभाग